

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार(आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि0

फैसल दि0

श्री पारी पत्नी कालिया

अनवान

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार


सागवाडा

(वादी)

(प्रतिवादी)

वादी श्री ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा शुलावाडा के खाता नम्बर 10 ... जमाबन्दी सं0 2070-73
में अंकित स्वयं/पिता का नाम शंकर पति कालिया
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
पारी पति कालिया है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम शंकर पति
कालिया दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम पारी पति कालिया
..... होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा शुलावाडा की जमाबन्दी संवत 2070-73 के
खाता संख्या 10 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम
~~शंकर~~ शंकर पति कालिया में संशोधन कर सही नाम पारी
पति कालिया दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा